संख्या-124/2025/1006/35-4-2025/35-4099/27/2024

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक 11 दिसम्बर, 2025

विषय: जनपद-गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत 05 कार्यों का निरस्तीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत जनपद-गोरखपुर के नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत शासनादेश सं0-112/2024/121/35-4-2024/35-4099/27/2024 दिनांक-08 मार्च, 2024 द्वारा स्वीकृत 89 कार्यों हेतु रू0 9333.80 लाख की अनुमोदित लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0 5600.28 लाख की धनराशि अवमुक्त किया गया है।

2- आपके पत्र संख्या- 841/त्व0आ0वि0यो0/2024-25 दिनांक 14 नवम्बर, 2025 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में एतद्द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2024 द्वारा स्वीकृत 89 कार्यों में से 05 कार्यों को निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों के अनुसार निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू. लाख में)

क्र0 एवं शासनादेश दिनांक-08 मार्च, 2024 का क्रमांक	**कार्य**	**अनुमोदित लागत**	**प्रथम किस्त में अवमुक्त धनराशि**	**कार्यदायी संस्था द्वारा राजकोष में जमा की गयी धनराशि**
1	**2**	**4**	**5**	**6**
1 शासनादेश क्रमांक-09	बाबा गम्भीर नाथ नगर में दोस मोहम्मद के मकान से अतहर के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य।	70.35	42.21	42.21
2 शासनादेश क्रमांक-10	बाबा गम्भीर नाथ नगर में मानबेला आवास रोड से मिश्रा सदन तक आर०सी०सी० नाली व सी०सी० सड़क का कार्य।	43.54	26.12	26.12
3 शासनादेश क्रमांक-50	इन्द्रप्रस्थपुरम कालोनी में सी०के० श्रीवास्तव के मकान से श्रीप्रकाश सिंह मकान तक व अगल-बगल गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	68.53	41.12	41.12
4 शासनादेश क्रमांक-67	इन्दिरा नगर में प्रो० एच०डी० पाण्डेय के मकान से सुशीला देवी के मकान तक व लिंक गलियों में आर०सी०सी० नाली सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	63.44	38.06	38.06

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5 शासनादेश क्रमांक-75	सरदार भगत सिंह नगर में चार फाटक रोड पर विद्युत मजदूर पंचायत भवन से पुराने महिन्द्रा गैस गोदाम एवं धोबी गली से डा० यस०यस०द्विवेदी के मकान तक आर०सी०सी० नाली एवं सी०सी० सड़क का कार्य।	65.28	39.17	39.17
	योग	311.14	186.68	186.68

1. राजकोष में चालान के माध्यम से जमा की गयी उक्त धनराशि की सूचना कोषागार की प्रति सहित वित्त विभाग को भी दी जायेगी।
2. उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2024, इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-124/2025/1006(1)/35-4-2025/35-4099/27/2024,तद्दिनांक |
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त, गोरखपुर मण्डल ।
8. नगर आयुक्त,नगर निगम गोरखपुर।
9. मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर ।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर ।
13. अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम गोरखपुर।
14. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
दुर्गा प्रसाद
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।